

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक 13.10.2023 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत बिहार आपूर्ति सेवा में कार्यरत श्री राकेश कुमार (गृह जिला-पटना), मूल वरीयता क्रमांक-150/2024, आपूर्ति निरीक्षक, खानपुर समस्तीपुर को पणन पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर में, उसके विहित वेतनमान (वेतन स्तर-8) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता है।

2. यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300 दिनांक 19.10.2023 में निहित शर्तों के अध्याधीन है।

3. उपर्युक्त पदाधिकारियों द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेश तक पणन पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर (विहित वेतनमान-वेतन स्तर-8) में उत्क्रमित किया जाता है।

4. उपर्युक्त पदाधिकारियों को प्रभार ग्रहण की तिथि से पणन पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।

5. प्रस्ताव एवं प्रारूप में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(डॉ० एन० सरवण कुमार)

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक:- प्र03-प्रोन्नति-02/2023 **529** खाद्य, पटना/दिनांक- **25/04/2025**
प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, दरभंगा /जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, समस्तीपुर/अनुमंडल पदाधिकारी, समस्तीपुर/कोषागार पदाधिकारी, समस्तीपुर एवं श्री राकेश कुमार, आपूर्ति निरीक्षक, खानपुर, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक:- प्र03-प्रोन्नति-02/2023 **529** खाद्य, पटना/दिनांक- **25/04/2025**
प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव कोषांग/विशेष सचिव कोषांग/संयुक्त सचिव कोषांग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-08 एवं आई०टी० प्रबंधक, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव।

Nasim

अतिरिक्त